

Visice 1647

The following Form 5 has been added in terms of Amendment Notification published on 19-10-2015 In the Gazette of India.

FORM-5

Suggested Format of the Certificate of District Collector/District Magistrate/Deputy Commissioner of the District or the Competent Authority so designated by the State Government in which the Applicant seeks to establish the New Medical Collège.

NO.74.7

Date: - 11-1-19

This is to certify that land measuring 15 (acre) situated at [village/Tehsil/District] Rajgarh District and Tehsil Rajgarh is registered in the name of Government of M.P. by way of ownership. The land is a single contiguous piece of land.

The applicant Government M.P. seeks to establish a new Medical College by the name of Government Rajgarh Medical College on the aforesaid piece of land of which details are as under:-

S.No.	Registered in the name of	Registered with the sub-Registrar Office of	Registered No./Date and Document NO.	Survey No. {Khasra No.}	Land area in Acres
1.	Government M.P	***	N/A	813/3/3, 812/3/5	15

There is no dispute pertaining to the said land and the land is free from all encumbrances. The building plan for the building constructed on the aforesaid is duty approved by N/A authority which is competent to approve the said building plan in N/A area.

The applicant Government M.P has obtained all relevant statutory clearances/permission for the usage of aforesaid piece of land for establishing a new Medical College from the concerned authorities.

The applicant Government M.P has obtained all relevant statutory clearances/permission for the construction of building on the aforesaid land in a which the proposed Medical Collage and Teaching Hospital, is located.

District Collector Rajgarh (M.P.)

न्यायालय कलेक्टर जिला राजगढ़ ब्यावरा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 0088 / अ-59 / 2019-20

आदेश

(दिनांक 18.10.2019) राजगढ जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव बुलाए गये है। तत्संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ से विधियत भूमि चयन कर प्रस्ताव चाहे गये है। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार से प्रस्ताव प्राप्त किये। तहसीलदार द्वारा उद्घोषणा जारी की गई निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश राजगढ तथा कार्यपालन यंत्री लोक निमार्ण विभाग से अभिमत

अनुविमागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि नगर राजगढ़) स्थित भूमि की सर्वे क्रमांक 812/3/3 एवं 812/3/5 रकबा क्रमशः 5.000 - 5.000 हैं। कुल रक्षा 10.000हैं। जो कि शासकीय होकर भौके पर रिक्त है। मेडिकल कालेज की

स्थापना हेतु भूमि आरक्षित की जाने की अनुशंसा की गई।

इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0088/अ-59/2019-20 आदेश दिनांक 11.10.2019 द्वारा उक्त सर्वे क्रमांक की भूमि रकबा 10.000हैं0 भूमि मेडिकल कालेज हेतु चिकित्सा शिक्षा

विभाग म.प्र. शासन को आरक्षित की गई थी।

तहसीलदार राजगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार नगर राजगढ़ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 812/3/3 एवं 812/3/5 रकबा क्रमशः 5.000 — 5.000 हैं0 कुल रकबा 10.000हैं0 भूमि मेंडिकल कालेज हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग गू.प्र. शासन को आंवटित की जाती है।

(निधि चिवेदिता) कलेक्टर जिला राजगढ़ म.प्र. क्रमांक / -...../6 प्रवा.-1/2019 दिनांक 1810.2019 प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी राजगढ़ की ओर सूचनार्थ।

3. अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ की ओर सूचनार्थ।

 तहसीलदार राजगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का अमक् राजस्व अभिलेख में कराया जाकर प्रतिवेदन इस न्यायालय को उपलब्ध करावें।

जिला राजगढ़ म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग